

- 1 समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
- 2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
- 3 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
- 4 समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।

विषय:-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित ऑनरोड एवं ऑफ रोड वाहनों की वर्तमान स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि उनके कार्यालय में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित ऑनरोड एवं ऑफ रोड तथा अनुपयोगी वाहन जिन्हे नीलाम किया जा चुका है, कि सूचना निम्नांकित संलग्न प्रारूप में 03 दिवस में वित्तीय सलाहकार, की मेल आई डी0 famh-rj@nic.in पर प्रेषित कराने का श्रम करावे:-

क्र0सं0	योजना का नाम जिसके अन्तर्गत वाहन संचालित है	वाहन संख्या जो कि चालू स्थिति में है	वाहन संख्या जो ऑफ रोड स्थिति में है	अनुपयोगी वाहन जिसे स्टेट मोटर गैराज/नीलाम किया जा चुका है	अनुपयोगी वाहन जो स्टेट मोटर गैराज/नीलामों हेतु प्रक्रियाधीन हो	कुल वाहनों की संख्या
योग						

३४

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांक 1/8/19

क्र.क-लेखा/अनु0वा0/2019/ 2316

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 समस्त संयुक्त निदेशक जोन को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सूचना एकत्रित कर प्रेषित करावें।
- 2 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि अधीनस्थ कार्यालय से सूचना एकत्रित कर संबंधित जोन कार्यालय को प्रेषित करावें।
- 3 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
- 4 रक्षित पत्रावली।

३५

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर